महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

प्रबन्ध बोर्ड की 89वीं बैठक

दिनांक

18 जनवरी, 2016

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर
प्रबन्ध बोर्ड की 89वीं बैठक
कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक : 18 जनवरी, 2016 **सांय: 4:00 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 89वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2016 को सांय 04:00 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1. प्रो. कैलाश सोडाणी — अध्यक्ष
   कुलपति
2. प्रो. बी.पी. सारस्वत — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)
3. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर — सदस्य
   (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)
4. डॉ. पी.के.शर्मा, — सदस्य
   (कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्देशित शिक्षाविद्)
5. श्री शत्रुघ्न गौतम — सदस्य
   (विधायक, केकडी)
6. डॉ. आरुषि अजय मलिक — सदस्य
   (प्रमुख शासन सचिव-वित्त के प्रतिनिधि)
7. सुश्री रेणु जयपाल
   कुलसचिव — सदस्य सचिव

नोट : (प्रो. जी.के कलसी, डॉ. बी.पी. शर्मा, मास्टर मामन सिंह यादव- विधायक, प्रमुख शासन सचिव-शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव-आयोजना, निदेशक-कॉलेज शिक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हो सके)

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 31.08.2015 को सम्पन्न हुई 87वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना। उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13 (88) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2015/31678-89 दिनांक 12.09.15 के द्वारा प्रेषित की गई।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 23.09.2015 को सम्पन्न हुई 88वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना ।	**शैक्षणिक-I**

	उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.13.(89) शैक्षणिक-I/मदसविवि/2015/32431-42 दिनांक 24.09.15 के द्वारा प्रेषित की गई।	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
मद सं. 3	अनेक विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाओं का अपना कुलगीत है। महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। माननीय कुलाधिपति महोदय ने भी इस विषय में अभिरूचि जाहिर की है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय का अपना कुलगीत होना चाहिए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का अपना कुलगीत है। वहां का कुलगीत डॉ. प्रेम भण्डारी, पूर्व संकाय सदस्य, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं म्यूजिक मेकर्स ऐजेंसी, उदयपुर द्वारा रचित, स्वरबद्ध एवं संगीतबद्ध किया गया है। डॉ. प्रेम भण्डारी एवं उक्त ऐजेंसी से इस विश्वविद्यालय का कुलगीत (सुर एवं साज सहित) तैयार कराने हेतु प्रस्ताव प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। इस हेतु म्यूजिक मेकर्स को पारिश्रमिक देय होगा।	**संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण**
निर्णय	**कुलगीत के निर्माण हेतु डॉ. प्रेम भण्डारी, पूर्व संकाय सदस्य, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर एवं म्यूजिक मेकर्स ऐजेंसी, उदयपुर द्वारा रचित, स्वरबद्ध एवं संगीतबद्ध मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्याल, उदयपुर का कुलगीत बैठक में सुनाया गया। डॉ. प्रेम भंडारी द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर हेतु रचित कुलगीत को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की एवं निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के कुलगीत को स्वर एवं संगीतबद्ध करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जावे जो एक माह में कार्य संपादित करावेः** **1. प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, विभागाध्यक्ष, हिन्दी - संयोजिका** **2. प्रो. प्रवीण माथुर, डीन,छात्र कल्याण -सदस्य** **3. विभागाध्यक्ष, संगीत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर - सदस्य** **4. विभागाध्यक्ष, राज. कन्या महाविद्यालय, अजमेर - सदस्य** **5. डॉ. एन.के. भाभडा, सेवानिवृत हिन्दी संकाय - सदस्य सचिव** **उक्त समिति कुलगीत में अति-आवश्यक वाँछित परिवर्तन हेतु भी अधिकृत है।** **यह भी निर्णय लिया कि -** **(अ) विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय अपने प्रत्येक कार्यक्रम के प्रारम्भ में उक्त कुलगीत गायन अनिवार्य होगा।** **(ब) कुलगीत गायन के समय उपस्थित गणमान्य अपने स्थान पर खड़े रहेंगे** **(स) कुलगीत समापन पर तालियाँ नहीं बजाई जाएँगी।**	
मद सं. 4	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करना :-** **(1) <u>प्रतिवेदन है कि</u>** माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ. नवलकिशोर उपाध्याय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक की निदेशक-शोध के रूप में संविदा पर पुनर्नियुक्त की अवधि पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2014/19755 दिनांक 10.09.2014 में वर्णित शर्तो के आधार पर दिनांक 10.09.2015 से 09.12.2015 तक बढ़ाई गई है। इस हेतु जारी कार्यालय	**संस्थापन**

	आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2014/31194 दिनांक 08.09.2015 प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-1)**	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(2) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ. नवलकिशोर उपाध्याय, सेवानिवृत्त प्राध्यापक की निदेशक-शोध के रूप में संविदा पर पुनर्नियुक्त की अवधि पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2014/19755 दिनांक 10.09.2014 में वर्णित शर्तो के आधार पर एवं आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2014/31194 दिनांक 08.09.2015 के क्रम में दिनांक 10.12.2015 से 09.06.2016 तक बढ़ाई गई है। इस हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2015/38877 दिनांक 14.12.2015 प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-2)**	**संस्थापन**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(3) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 07.12.2015 के अनुसार एम.ए. वैदिक वांग्मय के पाठ्यक्रम सत्र 2010-11 से प्रभावी (w.e.f.) संस्करण 2012 को ही सत्र 2015-16 के लिए यथावत मुद्रित कराया गया।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(4) <u>प्रतिवेदन है कि</u> दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 को विश्वविद्यालय के छठे दीक्षान्त समारोह के अवसर पर माननीय कुलाधिपति महोदय ने विश्वविद्यालय को निर्देश प्रदान किये कि सिन्धु शोधपीठ एवं पृथ्वीराज चौहान शोधकेन्द्र की भांति डॉ0 भीमराव अम्बेडकर शोध केन्द्र की स्थापना भी विश्वविद्यालय में की जावे। विश्वविद्यालय पीटीईटी एवं बीएसटीसी की बचत में से क्रमशः 50-50 लाख रूपये अर्थात कुल एक करोड़ रुपए की फिक्स डिपोजिट कराकर इसके ब्याज से इसका नियमित संचालन किया जावे। माननीय के निर्देशों की पालना में उक्त की कार्यवाही की जा चुकी है तथा मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(5) <u>प्रतिवेदन है कि</u> माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर शोधपीठ की स्थापना की गयी। इस हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.13( )शैक्ष-प्रथम/मदसविवि/2015/35782-831 दिनांक 23.10.15 प्रबन्ध बोर्ड की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-3)**	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(6) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 6 (1) FD (Rules)/2008, Jaipur 16-09-2015 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को दिनांक 16.09.2015 से महंगाई भत्ता 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है। तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 (41) A&F/MDSU/2015/32350-89 Dated 22-09-15 जारी किया गया है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-5)**	**वित्त एवं लेखा**

निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(7) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F 12 (3) FD (Rules)/2008, Jaipur 16-09-2015 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को दिनांक 01.07.2015 से महंगाई राहत 113 प्रतिशत के स्थान पर 119 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है। तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक F 6 (41) A&F/ MDSU/ 2015/ 32391-430 Dated 22-09-15 जारी किया गया है । **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-6)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(8) <u>प्रतिवेदन है कि</u> वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ 6 (5)एफ. डी. (रूल्स)/2009 जयपुर दिनांक 29.10.15 के अनुरूप व शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रदत्त बोनस के भुगतान की स्वीकृति दिनांक 30.10.2015 को माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान की है। तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 6 ( )विवले/2015/36698 दिनांक 31.10.15 जारी किया गया है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-7)** अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में जारी कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रतिवेदित है।	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(9) <u>प्रतिवेदन है कि</u> कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6( )विवले/मदसविवि/2015/ 15858-86 दिनांक 08.05.2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-8)** के तहत उप कुलसचिव सामान्य प्रशासन को विश्वविद्यालय के बजट, फाईनेनशियल एण्ड अकाउण्ट्स रूल्स, 1997 के नियम 5(2) के अन्तर्गत प्रदत्त राशि रूपये 25,000/- तक की वित्तीय शक्तियों को माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग में सहायक कुलसचिव का पदस्थापन किए जाने के फलस्वरूप सहायक कुलसचिव सामान्य प्रशासन को उक्त वित्तीय शक्तियों का हस्तान्तरण किए जाने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6( )विवले/मदसविवि/ 2015/39049 दिनांक 16.12.2015 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-9)** जारी किया गया। अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में जारी कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रतिवेदित है।	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(10) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राजस्थान लोक उपानन में पारदर्शिता नियम, 2013 के उपानन संबंधी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के बजट, फाईनेंशियल एण्ड अकाउण्ट्स रूल्स, 1997 में क्रय समिति के गठन से संबंधित नियम, 156 को संशोधित कर राशि रूपये 10001/- एवं अधिक किन्तू रूपये 1.00 लाख से कम तथा राशि रूपये 1.00 लाख एवं अधिक के उपानन संबंधी प्रकरण के लिए क्रमशः उपक्रय समिति एवं क्रय समिति की अधिकारिता निर्धारित किए जाने संबंधी कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6( )विवले/मदसविवि/2015/29750-99 दिनांक 22.08.15 **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-10)** जारी किया गया। अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश की पालना में जारी कार्यालय आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रतिवेदित है।	**वित्त एवं लेखा**

निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(11) <u>प्रतिवेदन है कि</u> राजकीय महाविद्यालय, डेगाना द्वारा सत्र 2015-16 में बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एससी. पाठ्यक्रमों की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया था। किन्तु महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार निर्धारित अवधि 31 जुलाई, 2015 के पश्चात् विश्वविद्यालय को आवेदन प्रस्तुत करने के कारण माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अध्यादेश 70 (ए) (8) (i) के अनुसार महाविद्यालय को छः गुणा विलम्ब शुल्क जमा कराने हेतु अनुमति प्रदान की गई। राजकीय महाविद्यालय, डेगाना को बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एससी. पाठ्यक्रमों की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु विलम्ब शुल्क रू. 9.00 लाख तीन माह में जमा कराने हेतु प्राचार्य को निर्देशित करते हुए निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा सत्र 2015-16 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने के आदेश प्रदान किये गये। माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 23.12.2015 की अनुपालना में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय पत्रांक एफ 14 (नवीन) मदसविवि/2015/39737 दिनांक 26.12.2015 के द्वारा सत्र 2015-16 में बी.ए., बी.कॉम. एवं बी.एससी पाठ्यक्रमों की नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-11)** अतः माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 23.12.2015 के अनुसार की गई कार्यवाही के संबंध में मद प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
	(12) <u>प्रतिवेदन है कि</u> प्रबन्ध बोर्ड की 88वी बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के निर्णय संख्या 03 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदय हेतु Toyota Innova 2.5 V Euro IV (white colour) (E4) Package : X, 7 seater कार आपूर्ति आदेश क्र.एफ.2( )सा.प्र./मदसवि/2015/36794 दिनांक 31.10.2015 के द्वारा क्रय कर ली गई है। अतः प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**पुष्टि की गई।**	
मद सं. 5	राज्य सरकार के वित्त विभाग (रूल्स डिवीजन) के आदेश क्रमांक एफ.12(4) एफ.डी.(रूल्स)2008 जयपुर दिनांक 04 मार्च, 2011 द्वारा राज्य सरकार के परिवीक्षाकाल पर अनुकम्पात्मक रूप से नियुक्त कर्मचारी जो पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे है, को पारिवारिक पेंशन पर देय महंगाई राहत के समान क्षतिपूर्ति भत्ते दिये जाने के आदेश जो कि दिनांक 01.03.2011 से प्रभावी है, को भी दिनांक 01.03.2011 से विश्वविद्यालय में मान्य/प्रवृत्त किये जाने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है। **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-4)**	**संस्थापन**
निर्णय	**अनुमोदन प्रदान किया।**	
मद सं. 6	निर्देशानुसार प्रस्तुत है कि जुपिटर कॉलेज, कुचामनसिटी एवं आदर्श कॉलेज, कुचामनसिटी के पत्र दिनांक 27.11.2015 के तहत परीक्षा 2015-16 हेतु निरस्त किये गये परीक्षा केन्द्रों को पुर्नजीवित करने हेतु उनके द्वारा निवेदन किया गया था। जिसके क्रम में माननीय को पत्रावली के जरिये अवगत करवाया गया था कि दिनांक 6.6.2015 को गठित समिति की अनुशंषा एवं प्रबन्ध बोर्ड की 86वीं बैठक दिनांक 09 जून, 2015 के निर्णय सं.4 की पालना की जाकर नागौर जिले के उक्त दोनों महाविद्यालयों के परीक्षा केन्द्र बदलने का निर्णय लिया गया था एवं तदनुसार उक्त	**परीक्षा नियंत्रक**

	दोनों परीक्षा केन्द्रों का सत्र 2015-16 हेतु निरस्त किया गया था। उक्त सन्दर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि नागौर जिले के कुचामनसिटी में गत वर्ष की परीक्षाओं के आंकडों के अनुसार परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 18 से 20 हजार है जिनको अन्य महाविद्यालय अथवा अन्य परीक्षा केन्द्रों पर प्रविष्ठ करवाना संभव प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा उक्त जिले में कोई अन्य परीक्षा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। अतः परीक्षाओं के दृष्टिगत उक्त दोनों केन्द्रों को पुर्नजीवित किये जाने के संबंध में तथा उक्त दोनों परीक्षा केन्द्रों के रूप में इस महाविद्यालय के छात्रों को अन्य परीक्षा केन्द्र पर परीक्षाओं में प्रविष्ठ करवाने हेतु मद विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**प्रबन्ध बोर्ड ने निर्णय लिया कि परीक्षार्थियों के हित को दृष्टिगत रखते हुए जुपिटर कॉलेज, कुचामनसिटी एवं आदर्श कॉलेज, कुचामनसिटी के परीक्षा केन्द्रों को बहाल किया जावे। इन दोनों कॉलेजों में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के लिए इन परीक्षा केन्द्रों का उपयोग नहीं होगा। उन्हें अन्य परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा देनी होगी। कुचामन के अन्य महाविद्यालयों के नियमित/स्वयंपाठी विद्यार्थियों का इन दोनों महाविद्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाया जाए। साथ ही, इन परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे तथा उड़नदस्ता आदि की पुख्ता व्यवस्था की जावे। परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नये परीक्षा केन्द्र बनाये जावें**	
मद सं. 7	महालेखाकार राजस्थान जयपुर के आक्षेप संख्या 20 के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास हेतु बनाए गए आवास गृहों के रिक्त रहने के कारण आवासों की उपयोगिता सार्थक करने, राज्य सरकार को मकान किराये भत्ते के भुगतान की राशि से बचाने एवं आवास गृह आवंटित किये जाने पर अनुज्ञा शुल्क (लाईसेंस फीस) की राशि विश्वविद्यालय को आय के रूप में प्राप्त होने के लिये अन्य राजकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके पद के अनुसार आवास गृह आवंटित किये जाने के लिए प्रकरण माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 17.07.2015 की अनुपालना में मद प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	**सामान्य प्रशासन**
निर्णय	**बोर्ड ने निर्णय किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके पद के अनुसार आवास गृह आवण्टित किए जाने एवं राज्य सरकार के नियमानुसार आवास गृह किराया भुगतान हेतु सम्बन्धित के विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा जावे**	
मद सं. 8	विश्वविद्यालय के समाान्य प्रावधायी निधि के नियम 14(2) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु गठित समिति की दिनांक 13.01.2016 को सम्पन्न बैठक की संस्तुतियों पर विचार करना **(कार्यसूची का परिशिष्ठ-12)**	**वित्त एवं लेखा**
निर्णय	**समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित किया गया।**	
मद सं. 9	श्री भूपसिंह मीणा जो विश्वविद्यालय में सहायक के पद पर कार्यरत थे का आकस्मिक निधन दिनांक 19.02.2015 को हो गया है। अनुकम्पात्क नियुक्ति हेतु स्व0 श्री भूपसिंह मीणा की पत्नि श्रीमती मंजू मीणा से प्राप्त प्रार्थना पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनकी मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाने के कारण वे स्वयं के स्थान पर उनके पुत्र श्री रोहन मीणा को व्यस्क होने पर अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्ति प्रदान करवाना चाहती है। श्री रोहन मीणा माह मई 2016 में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर व्यस्क हो जायेंगें।	**संस्थापन**

	राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ.5(51)कार्मिक/क-2/88 दिनांक 11.09.2002 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के भीतर आवेदक द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत करना होता है। अतः मानवीय आधार पर नियमों में शिथिलता बरतते हुए उक्त प्रकरण में प्रार्थिया श्रीमती मंजू मीणा को उनके पुत्र श्री रोहन मीणा की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् एक माह के भीतर माह जून 2016 तक आवेदन करने की छूट प्रदान करने के लिये प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	
निर्णय	**बोर्ड ने निर्णय किया कि मानवीय दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए आवेदनपत्र प्रस्तुत करने की 90 दिन की अवधि में शिथिलता प्रदान करते हुए जून, 2016 तक आवेदन प्रस्तुत कर दिया जावे। इसे भविष्य में उदाहरण नहीं माना जावे।**	
मद सं.10	विश्वविद्यालय/राज्य सेवा से सेवानिवृत शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विश्वविद्यालय में संविदात्मक नियुक्ति प्रदान करने बाबत।	**संस्थापन**
निर्णय	**बोर्ड ने निर्णय किया कि राज्य सरकार के कार्मिक (क-2)विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 26 मई, 2014 विश्वविद्यालय में प्रवृत्त हैं तथा राज्य सरकार जब-जब उक्त आदेश में संशोधन करे वही संशोधन इस विश्वविद्यालय में भी प्रवृत माने जाएं।**	
मद सं.11	भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2016 की संस्तुतियां विचारार्थ एवं निर्णयार्थ परिशिष्ट (13)	**सहायक अभि.**
निर्णय	**संस्तुतियों को अनुमोदन प्रदान किया गया।**	
मद सं. 12	राज्य सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) के मेमोरेण्डम क्रमांक एफ.1 (2) एफडी (रूल्स)/06 पार्ट -। जयपुर दिनांक 11.06.2014 जो कि Extra Ordinary Leave Period से संबधित है, को विश्वविद्यालय में प्रवृत/मान्य किये जाने हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है । (परिशिष्ट-14)	**संस्थापन**
निर्णय	**राज्य सरकार के उक्त आदेश विश्वविद्यालय में प्रवृत/मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया ।**	

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति **कुलसचिव**